भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 452
21.07.2026 को उत्तर के लिए नियत

ई-रिक्शा बीएमएस में साइबर सुरक्षा संबंधी कमियां और प्रमाणन अभिकरणा की भुमिका

452. **श्री सुरेश कुमार शेटकर:**
श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत:
श्री बी. मणिक्कम टैगोर:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ऐसी घटनाओं का संज्ञान लिया है जहां ई-रिक्शा बैटरियों को अप्रत्यक्ष रूप से मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से निष्क्रिय कर दिया गया था, जिससे जनता को असुविधा हुई और जबरन वसूली के मामले सामने आए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग की जाने वाली बैटरी प्रबंधन प्रणालियों (बीएमएस) में और विशेषकर विदेश में विकसित एप्लिकेशनों के माध्यम से नियंत्रित होने वाली प्रणालियों में सुरक्षा संबंधी कमियों की पहचान की है, और यदि हाँ, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं;
(ग) क्या सरकार ने असुरक्षित बैटरी प्रबंधन एप्लिकेशनों के उपयोग के संबंध में निर्माताओं और ऑपरेटरों को कोई एडवाइजरी जारी की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार यह बताएगी कि क्या एआरएआई और आईसीएटी जैसे प्रमाणन अभिकरण वर्तमान में इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरी प्रणानियों को मंजूरी देते समय साइबर सुरक्षा मानकों को अनिवार्य बनाती हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ङ) क्या सरकार ने उक्त रिपोर्टों का संज्ञान लिया है कि वर्तमान प्रमाणन मानदंड केवल यांत्रिक और विद्युत सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इनमें साइबर सुरक्षा जोखिमों का समाधान नहीं किया जाता है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या सरकार यह स्पष्ट करेगी कि क्या इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों के अनधिकृत अप्रत्यक्ष ढंग से उपयोग किए जाने या उन्हें बंद करने से रोकने के लिए कोई दिशानिर्देश मौजूद हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उक्त विनियामक अंतराल के क्या कारण हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) एवं (ख): भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-इन) को इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों (ई-रिक्शा) से संबंधित सुरक्षा संबंधी चिंता के संबंध में सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। यह सूचना प्राप्त हुई है कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध बीएमएस के मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग कर अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा गतिमान ई-रिक्शा को अचानक बंद किया जाना संभव है। यह समस्या बैटरी मॉड्यूल में अंतर्निहित बैटरी प्रबंधन प्रणाली (बीएमएस) चिप के ब्लूटूथ मॉड्यूल से संबंधित है। कम लागत वाले ई-रिक्शा में सामान्यतः प्रयुक्त बीएमएस में डिफॉल्ट होता है अथवा कोई प्रमाणीकरण उपलब्ध नहीं होता है, जिसके कारण अनधिकृत व्यक्ति उससे जुड़कर उसकी सेटिंग्स में परिवर्तन कर सकते हैं तथा/अथवा बैटरी के डिस्चार्ज को रोक सकते हैं, जिससे वाहन अचानक बंद हो सकता है। सीईआरटी-इन ने ऐसे मोबाइल एप्स की पहचान की है जिनका उपयोग ई-रिक्शा की बैटरी को अचानक बंद करने के लिए किया जा सकता है तथा उन्हें एप्लीकेशन प्ले-स्टोर से हटाए जाने हेतु इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को सूचित किया है।

(ग): भारी उद्योग मंत्रालय ने ई-रिक्शा में ब्लूटूथ आधारित बीएमएस संबंधी कमियों के निराकरण हेतु एसआईएएम, एसीएमए सहित उद्योग संघों तथा परीक्षण एजेंसियों को परामर्श जारी किया है।

(घ) से (च): सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) से प्राप्त सूचनानुसार, वर्तमान में ई-रिक्शा एवं ई-कार्ट के संबंध में साइबर सुरक्षा विषयक विनियम अधिसूचित नहीं किए गए हैं। तथापि, एल-श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन एआईएस-156 में निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाना आवश्यक है तथा इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन सुरक्षा का अनुपालन एआईएस-038 (संशोधन-2) के अनुरूप किया जाना अपेक्षित है। भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा दिनांक 17 जून, 2026 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 503(ई) के माध्यम से एल, एम एवं एन श्रेणी के वाहनों के लिए एआईएस-189 तथा एआईएस-190 के अनुरूप साइबर सुरक्षा संबंधी वाहन अनुमोदन के लिए प्रारूप नियम प्रकाशित किए गए हैं। इसके अलावा, केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 126 के अनुसार प्रत्येक मोटर वाहन, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन भी सम्मिलित हैं, के विनिर्माता अथवा आयातक के लिए यह अनिवार्य है कि वह वाहन के प्रोटोटाइप को नियम 126 के अधीन अधिसूचित परीक्षण एजेंसी के समक्ष परीक्षण हेतु प्रस्तुत करे। परीक्षण एजेंसी मोटर वाहन अधिनियम, 1988 तथा केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के प्रावधानों के अनुरूपता का प्रमाणन करते हुए टाइप अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी करती है।
